न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः-102/अ-59/2017-18/ [illegible] बैतूल दिनांक/[illegible]/5 /2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम पंचायत असाड़ी जनपद पंचायत चिचोली द्वारा मौजा खैरी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 253 रकबा 15.520 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान की भूमिपर निवासरत् व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए उक्त भूमि में से 1.600 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2- ग्राम पंचायत असाड़ी के उक्त प्रस्ताव के आधार पर तहसीलदार चिचोली द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा खैरी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 253 रकबा 15.520 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 1.600 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 27-1-2018 को आयोजित ग्राम सभा में, सर्व सम्मति से प्रस्ताव क्रमांकः- 01 पारित किया जाकर, मौजा खैरी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 253 रकबा 15.520 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 1.600 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा खैरी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 253 रकबा 15.520 हेक्टेयर भूमि पहाड़ शासकीय मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 में उक्त खसरा नंबर पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है।

(4)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार चिचोली /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा मौजा खैरी स्थित खसरा नंबर 253 रकबा 15.520 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 1.600 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./8670, दिनांक 04 अगस्त 2018 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के प्रकरणो को छोड़कर शेष समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार चिचोली /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा खैरी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 253 रकबा 15.520 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 1.600 हेक्टेयर भूमि जिसे प्रकरण में संलग्न नक्शा प्रदर्श ''अ'' में लाल

स्याही से चिन्हित किया गया है को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:-102 /अ-59/2017-18/ 11032 बैतूल दिनांक 10/5/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
2- तहसीलदार बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत असाड़ी जनपद पंचायत चिचोली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.